न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 57 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
श्रीमती ओमीदेवी उर्फ आसु पुत्री चौथाराम पत्नी श्री किशनलाल जाति भाट(बणजारा) निवासी मेवानगर हाल जोधपुर(राज.) (मोबाईल नम्बर 9413573877)	बनाम	1.शंकरलाल पुत्र श्री चौथाराम 2.जीवाराम पुत्र श्री चौथाराम 3.मदाराम पुत्र श्री सोनाराम 4.श्रीमती चनणी पत्नी श्री सोनाराम जाति भाट निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 5.मैनेजर, एस.वी.वी.जे. मौजूदा एस.वी.आई. बैंक शाखा जसोल, पोस्ट जसोल 6.राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधि भूमिधारक तहसीलदार, पचपदरा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा के राजस्व मूल वाद संख्या 180 / 2011 वअनवान ओमीदेवी बनाम शंकरलाल वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2018।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री अरहिंत तांतेड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री संतोष भंसाली रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 22.02.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनी ने एक वाद पत्र बावत घोषणा, वंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। अपीलार्थी ने इस तथ्य को सावित कर दिया था कि खसरा संख्या 103 रकबा 12 वीघा, खसरा संख्या 505 / 183, 1117 / 18 रकवा 35 वीघा, खसरा संख्या 177 रकवा 10.13 वीघा एवं खसरा संख्या 184 रकवा 25.07 वीघा कुल रकबा 83 बीघा सरहद मौजा मेवानगर में अपीलार्थी के पिता चौथाराम का 1 / 2 हिस्सा खातेदारी का था। अपीलार्थी स्वर्गीय चौथाराम की जायंदा पुत्री है तथा रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 उसके सगे भाई है। जहां किसी हिन्दू की निर्वसीयती मृत्यु होती है तो पर्सनल लॉ हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार मृतक के प्रथम श्रेणी के वारीस उसके पुत्र व पुत्रियां होती है। वादिनी को विधि के अनुसार लाईन ऑफ सक्सेसन से वंचित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आयी साक्ष्य से विपरित जाकर कयासी दलीलो पर मनमना निर्णय पारित कर क्षेत्राधिकार की भूल की है। यदि ऐसा निर्णय यथावत रहता है तो न्याय के विफल होने की पूर्ण सम्भावना है। उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आयी साक्ष्य से विपरित जाकर कयासी दलीलो पर मनमाना निर्णय पारित कर क्षैत्राधिकार की भूल की है। यदि ऐसा निर्णय यथावत रहता है तो न्याय के विफल होने की पूर्ण सम्भावना है। प्रकरण में वाद की प्रक्रिया को अपनाये बिना यथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर वाद को गुणावगुण पर निरतारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने रेस्पोडेंट की तरफ से पेश लिखित वहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बहस करते हुए बताया कि वादीनी मेरी सगी वहन नहीं है तथा हम चौथारामजी के दो संताने शंकरलाल व जीवाराम है। आज से करीब 57 वर्ष पहले सन 1962 में मेरे पिताजी ने मेरी माताजी पुरोदेवी को वदचलन के कारण घर से निकाल दिया था क्योंकि गांव में उनकी बदनामी हो रहीं थी, उस समय मेरा भाई जीवाराम भी मेरी मां के साथ घर छोड़ कर चला गया था तथा गांव छोड़कर मां बेटे जसोल फांटा पर चले गये थे जहां पर गणेशाराम खण्डेलवाल जसोल वाले के चाय की होटल थी, गणेशाराम शादी शुदा नहीं था कुछ वर्षों के बाद जीवाराम को होटल पर रख दिया था वहीं पर दोनों मां बेटा रह रहें थे जहां पर मेरी मां ने अवैध संतान के रूप में ओमीदेवी उर्फ आसीदेवी को जन्म दिया था। अपीलांट/वादीनी अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद प्रमाणित नहीं कर सकी वादिनी ने वादग्रस्त भूमि के बारे में भरे गए विरासतन नामांतरकरण को भी चुनौती नहीं दी हैं इसके अभाव में वह अपना हक पाने की अधिकारिणी नहीं ठहरती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रेस्पोडेंट संख्या 01

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

स्वयं ने पूर्व में अपीलार्थी को अपनी बहन नहीं माना लेकिन वक्त बहस अपनी तरफ से पेश लिखित कथन में अपीलार्थी को अपनी मां की अवैध संतान के रूप में स्वीकार कर रहा है। अपीलार्थी रेसपोडेंट संख्या 01 व 02 की बहन है या नहीं इस बात का निस्तारण वाद के विचारण में साक्ष्य सबूत से ही हो सकती है। वादिनी/अपीलांट का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों मुताबिक इस पुश्तैनी वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हक निहित था, जो उसके पिता मृतक चौथाराम की मृत्यु के समय ही उसमें निहित हो चुका था। वादिनी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित जाकर पारित किया गया है। अपीलांट/वादिनी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर बालोतरा के राजस्व मूल वाद संख्या 180/2011 बअनवान ओमीदेवी बनाम शंकरलाल वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2018 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थिया के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.04.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार लोखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर